भारत गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार करार

- **प्रस्तावना**

भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार, (इसमें बाद में "करार दल " के रूप में संदर्भित है)

`

आर्थिक एकीकरण के माध्यम से,उनके घरेलू बाजारों का विस्तार को देखते हुए, आर्थिक विकास की उनकी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है।

पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की इच्छा ध्यान में रखना।

आंतर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास को मजबूत बनाने के लिए मुक्त व्यापार व्यवस्थाओं को स्थापित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति दृढ़ विश्वास ।

आगे स्वीकार करते है कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से प्रगतिशील कटौती और द्विपक्षीय व्यापार के लिए बाधाओं के उन्मूलन (इसमें बाद में "करार कहा गया है) विश्व व्यापार के विस्तार में योगदान होंगे ।

अनुच्छेद- I

उद्देश्य

1. करार दल इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और शुल्क तथा व्यापार, 1994 पर सामान्य समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करेंगे।
2. इस करार के उद्देश्य हैं:
   (i) व्यापार के विस्तार के माध्यम से भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना।

(ii) भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए प्रतियोगिता की निष्पक्ष स्थिति प्रदान करना

(iii) इस करार के कार्यान्वयन में करार दल पारस्परिकता के सिद्धांत के प्रति सम्यक् ध्यान रखेंगे

(iv) विश्व व्यापार के सामंजस्यपूर्ण विकास और विस्तार के लिए व्यापार की बाधाओं को हटाने के द्वारा इस तरह से योगदान करना

अनुच्छेद-II

परिभाषाएँ

- **इस करार के प्रयोजन के लिए:**

1. "प्रशुल्क" से मतलब है करार दलों की राष्ट्रीय अनुसूचियों में शामिल बुनियादी सीमा शुल्क।
2. "उत्पाद" का मतलब है कच्चे, अर्द्ध प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत रूपों में विनिर्माण और पण्यों सहित सभी उत्पाद ।
3. "अधिमान्य व्यवहार" मतलब है उत्पाद की आवाजाही पर प्रशुल्क के उन्मूलन के माध्यम से एक करार पार्टी द्वारा इस करार के तहत दी गई किसी भी रियायत या विशेषाधिकार ।
4. "समिति" का अर्थ है अनुच्छेद XI में संदर्भित संयुक्त समिति ।

5. "गंभीर क्षति " का मतलब है जैसे या समान उत्पाद के अधिमान्य आयात की पर्याप्त वृद्धि से उत्पन्न स्थितियों में भारी नुकसान के कारण अल्पावधि में अस्थिर आय, उत्पादन या रोजगार के मामले में घरेलू उत्पादकों लिए महत्वपूर्ण क्षति। संबंधित घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच में अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों का मूल्यांकन और उस उत्पाद के घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांक भी शामिल होगा ।

6. "गंभीर क्षति के खतरे" का मतलब है, एक परिस्थिति जिसमें अधिमान्य आयात की भारी वृद्धि जो कि घरेलू उत्पादकों को "गंभीर क्षति " पैदा करता है, और उस तरह की क्षति, हालांकि अभी तक मौजूदा नहीं स्पष्ट रूप से आसन्न है। गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर किया जाएगा और मात्र आरोप, अनुमान, या दूरस्थ या काल्पनिक संभावना के आधार पर नहीं किया जाएगा।

7. "गंभीर परिस्थितियों का मतलब है" एक असाधारण स्थिति का उद्भव जहां बड़े पैमाने पर अधिमान्य आयात के कारण या गंभीर क्षति पैदा करने की धमकी ठीक करना कठिन और जो तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा करता है।

अनुच्छेद-III

प्रशुल्कों का उन्मूलन

अनुबंध क और ख के प्रावधानों के अनुसार माल की आवाजाही पर टैरिफ के उन्मूलन के माध्यम से अपने - अपने देशों के बीच माल की मुक्त आवाजाही के प्रयोजन के लिए करार दल इसके द्वारा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए सहमत होते हैं जो इस करार का एक अभिन्न भाग होगा।

अनुच्छेद-IV

सामान्य अपवाद

इस करार में अनुच्छेद XX और XXI में दिए गए टैरिफ और व्यापार, 1994 पर सामान्य समझौते के अनुसार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे, सार्वजनिक नैतिकता की सुरक्षा, मानव, पशु या पादप जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा, और, कलात्मक ऐतिहासिक और पुरातात्विक मान की वस्तुओं के संरक्षण के लिये कार्रवाई करने और उपाय अपनाने से किसी भी करार पार्टी को नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद-V

राष्ट्रीय व्यवहार

करार दल गैट 1994 के अनुच्छेद III में निहित सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं ।

अनुच्छेद-VI

राज्य व्यापारिक उद्यम

1. टैरिफ और व्यापार1994 पर सामान्य करार के अनुच्छेद-XVII में सुस्पष्ट एक राज्य व्यापारिक उद्यम को बनाए रखने या स्थापना से एक करार पार्टी को रोकने के लिए इस करार में कुछ नहीं लगाया जाएगा ।

2. प्रत्येक करार पार्टी जो एक्ट को बनाए रखता है या स्थापित करता है कि, यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अंर्तगत किसी भी राज्य उद्यम करार दलों के दायित्वों के साथ असंगत नहीं है, अन्य करार पार्टी से आयात और निर्यात करने में निष्पक्ष व्यवहार करता है ।

अनुच्छेद-VII

मूल स्थान नियम

1. इस समझौते के प्रावधानों के अंदर समाविष्ट उत्पाद अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे इस करार के अनुबंध ग में निर्धारित मूल के नियमों को संतुष्ट करते हैं, जो इस समझौते का एक अभिन्न भाग होगा ।

2. उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए कोई भी करार पार्टी, उन क्षेत्रों द्वारा निर्मित या उत्पादित उत्पादों के लिए कम मूल्य वर्धित मानदंडों को आपसी बातचीत के माध्यम से माना जा सकता है।

अनुच्छेद-VIII रक्षा उपाय

1. यदि किसी भी उत्पाद, जो इस करार के तहत अधिमान्य व्यवहार के अधीन रहते हो, इस तरीके में या ऐसी मात्रा में एक करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में आयात किया जाता है,जिससे भागीदार करार पार्टी को गंभीर क्षति या धमकी के कारण बनता है , आयात करार पार्टी, महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर,पूर्व परामर्शों के साथ इस करार के अंतर्गत दिए गए अधिमान्य व्यवहार को बिना किसी भेदभाव से अनंतिम रूप से निलंबित कर सकते हैं ।
2. जब इस अनुच्छेद के पैरा I के संदर्भ में, करार पार्टी द्वारा कार्रवाई ली गई है तो अन्य करार पार्टी के साथ ही अनुच्छेद XI के संदर्भ में स्थापित संयुक्त समिति को सूचित करेगा। समिति संबंधित करार पार्टी के साथ परामर्शों में प्रवेश करेगी और स्थिति में सुधार करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुंचने के लिए प्रयास करेगी। समिति में परामर्श करने के साठ दिनों के भीतर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास विफल हो जाते तो, प्रभावित पार्टी को अधिमान्य व्यवहार को वापस लेने की कार्रवाई लेने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-IX

आंतरिक कानून

करार दल, आयात को प्रतिबंधित करने के लिए अपने आंतरिक कानून लागू करने में स्वतंत्र होगा जहां मूल्य सब्सिडी और डंपिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार से प्रभावित हैं। सब्सिडी और डंपिंग टैरिफ और व्यापार1994 पर सामान्य समझौते और प्रासंगिक विश्व व्यापार संगठन के समझौते जैसा एक ही अर्थ में समझा जाना जाएगा।

अनुच्छेद-X

शेष राशि के भुगतान के उपाय

1. इस समझौते के प्रावधानों के बावजूद,किसी भी करार पार्टी शेष राशि के भुगतान की कठिनाइयों के सामना करना पड़ रहा है, समझौते के तहत आयातित किए जाने हेतु अनुमित पण्य की मात्रा और मूल्य के जैसा अधिमान्य व्यवहार अनंतिम रूप निलंबित कर सकते हैं । जब करार पार्टी द्वारा , जो इस तरह की कार्रवाई 'शुरू की जाती है तो एक साथ अन्य करार पार्टी को सूचित करेगी।
2. किसी भी करार पार्टी, जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार कार्रवाई लेता है, अन्य करार पार्टी के अनुरोध पर इस समझौते के तहत प्रदान अधिमान्य व्यवहार की स्थिरता को बनाए रखने की दृष्टि से परामर्श के लिए पर्याप्त अवसर देगा ।

अनुच्छेद-XI

संयुक्त समिति

1. एक संयुक्त समिति मंत्री स्तर पर की स्थापना की जाएगी। इस करार के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक साल में कम से कम एक बार समिति की बैठक होगी और यह सुनिश्चित करना है कि इस करार से उत्पन्न व्यापार के विस्तार का लाभ दोनों करार दलों समान रूप से उपार्जित होगा। समिति आवश्यकता के अनुरूप उप-समितियों और / या कार्य समूह की स्थापना कर सकती है ।
2. सीमा शुल्क मामलों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, करार दल सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर एक कार्य समूह स्थापित करने के लिए सहमत हैं,जिसमें टैरिफ विषयक सामंजस्य भी शामिल है। अक्सर कार्य समूह की आवश्यकतानुसार बैठक होगी और इसके विचार-विमर्श पर समिति को रिपोर्ट करेंगे।
3. समिति समझौते के कार्यान्वयन को प्रभावित किसी भी विषय के संबंध में किसी भी करार पार्टी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देगी। समिति ऐसे अभ्यावेदनों में उल्लिखित किसी भी मामले को निपटाने के लिए उसकी प्राप्ति के 6 महीने के भीतर उचित उपाय अपनाएगी। प्रत्येक करार पार्टी तुरंत इस तरह के उपायों को लागू करेंगे ।
4. समिति इस करार से संबंधित मामलों पर व्यापार और उद्योग के विचारों के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक देश में व्यापार और उद्योग के एक शीर्ष मण्डल को मनोनीत करेगी ।

अनुच्छेद-XII परामर्श

1. प्रत्येक करार पार्टी इस समझौते के प्रचालन को प्रभावित किसी भी विषय के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और अन्य करार पार्टी द्वारा किए गए इस तरह के अभ्यावेदन के बारे में परामर्श के लिए पर्याप्त अवसर देगा ।

2. किसी भी बात पर ऊपर पैरा 1 के तहत विचार-विमर्श के माध्यम से एक संतोषजनक समाधान खोजना संभव नहीं है तो एक करार पार्टी के अनुरोध पर विचार करने के लिए समिति मिल सकती है ।

अनुच्छेद-XIII

विवादों का निपटारा

1. संपर्क दलों के वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच उत्पन्न कोई भी विवाद हो नोडल सर्वोच्च मंडल के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भेजा जाएगा । इस तरह के संदर्भ, जहाँ तक संभव हो, मंडल द्वारा आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से तय किया जाएगा। सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं पाए जाने की स्थिति में मामला एक बाध्यकारी निर्णय के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। दोनों देशों के प्रासंगिक मध्यस्थता निकायों के साथ परामर्श करके संयुक्त समिति द्वारा न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा ।
2. इस समझौते के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के बारे में संपर्क दलों के बीच किसी भी विवाद या इसकी रूपरेखा के भीतर अपनाए गए किसी भी साधन वार्तालाप के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से तय किया जाएगा, ऐसा न करने पर संपर्क दलों में से किसी एक के द्वारा एक सूचना समिति के लिए भेजी जा सकती है ।

अनुच्छेद - XIV

अवधि और करार की समाप्ति

करार पार्टी समझौते को समाप्त करने के अपने इरादे दूसरे के लिए छह महीने के लिखित नोटिस देकर समाप्त करने तक यह करार प्रभाव में रहेगा ।

अनुच्छेद-XV

संशोधन

करार दलों के आपसी समझौते के माध्यम से करार को परिवर्तित / संशोधित किया जा सकता है । इस तरह के संशोधन के लिए प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा स्वीकृति पर संयुक्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा, प्रत्येक करार पार्टी के लागू कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। जब राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान के माध्यम से पुष्टि करने और इस करार के एक अभिन्न अंग के गठन करने पर इस तरह के परिवर्तन या संशोधन प्रभावी हो जाएंगे । बशर्ते कि फिर भी आपातकालीन परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रस्तावों पर करार दलों से विचार किया जा सकता है और अगर सहमत हुए, राजनयिक नोट्स के आदान प्रदान के माध्यम लिए प्रभाव दिया जा सकता है ।

अनुच्छेद-XVI

अंतिम रूप दिया जाने अनुबंध

अनुबंध घ (i) और घ (ii) (क्रमश: भारत और श्रीलंका की नकारात्मक सूचियाँ)।

ङ (उत्पाद जिस पर भारत समझौते के लागू होने पर 100% टैरिफ रियायत देने के लिए कार्य शुरू किया है) और च (जिस उत्पाद पर श्रीलंका समझौते के लागू होने पर 100% टैरिफ रियायत देने के लिए कार्य शुरू किया है) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के 60 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। सभी अनुबंध करार के अभिन्न हिस्सा होंगे।

अनुच्छेद-XVII

प्रभावित होना

करार दलों द्वारा उनके संबंधित संवैधानिक आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के साथ-साथ एक-दूसरे को अधिसूचित करने के बाद, तीसवां दिन से करार प्रभाव में आएगा ।

जिसको साक्षी मानकर अधोहस्ताक्षरी, नई दिल्ली में 28 दिसंबर 1998 के इस दिन अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में वहां विधिवत अधिकृत उनकी संबंधित सरकारों द्वारा, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- **अनुबंध 'क'**

भारत सरकार नीचे विस्तृत चरणबद्ध अनुसूची के अनुसार इस समझौते के अनुलग्नक घ में सूचीबद्ध उत्पादों को छोड़कर, भारत में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य उत्पादों के संबंध में, श्रीलंका से सभी निर्यात को निशुल्क प्रवेश देगी :

1. करार के लागू होने पर : -
   (क) अनुबंध ' ङ ' के उत्पादों की पहुँच पर शून्य शुल्क
   (ख) अनुबंध घ में सूचीबद्ध उत्पादों को छोड़कर शेष उत्पादों पर अधिमान्यता, के 50% लाभ,अध्याय 51 से 56, 58 से 60 एवं 63 के उत्पादों पर रियायतें 25% तक सीमित की जाएगी ।
2. ऊपर ख) में वर्णित उत्पादों पर अधिमान के लाभ ऊपर 1(ख) में निर्दिष्ट में वस्त्र उत्पादों को छोड़कर करार के लागू होने के तीन साल के भीतर दो चरणों में 100% की वृद्धि की जाएगी ।

- **अनुबंध 'ख"**

निम्नलिखित विवरणानुसार श्रीलंका में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य उत्पादों के संबंध में, भारत से श्रीलंका को निर्यातित उत्पादों पर श्रीलंका सरकार शुल्क रियायतें प्रदान करेगी ।

1. करार के प्रभावित होने पर प्रवेश करने वाले अनुबंध च- I के उत्पादों के लिए शून्य शुल्क।
2. करार के लागू होने पर अनुबंध च II के उत्पादों के लिए 50% अधिमान लाभ । इन उत्पादों के संबंध में अधिमान के मार्जिन 70% तक बढ़ाया जाएगा। इन उत्पादों के संबंध में अधिमान के लाभ समझौते के लागू होने के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः70%, 90% और 100%, के रूप में बढ़ाया जाएगा ।
3. अनुबंध 'घ" 'के उत्पादों को छोड़कर शेष उत्पादों के लिए करार लागू होने की तारीख से तीन साल की समाप्ति से पहले 35% और छठे वर्ष की समाप्ति से पहले 70% और आठ साल की समाप्ति से पहले 100% से कम न वाले टैरिफ तक नीचे लाया जाएगा ।

मूलस्थान नियम

1. लघु शीर्षक **I** प्रारंभ: - इन नियमों को श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत उत्पाद के मूल स्थान निर्धारण नियम कहा जा सकता है ।
2. अनुप्रयोग**:-** ये नियम करार दलों में से किसी के क्षेत्र से परेषित उत्पादों के लिए लागू होंगे ।
3. मूलस्थान निर्धारण: - कोई भी उत्पाद उपयुक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ऐसे उत्पादों के संबंध में इन नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के सिवा किसी भी देश के उत्पादन या विनिर्माण के रूप में नहीं समझा जाएगा ।
4. (क) दावा करना कि उत्पाद जिस देश से उनका आयात किया जाता है**,** उस देश के उत्पादन या विनिर्माण से बने हैं और इस करार के तहत ऐसे उत्पाद अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र हैं**,** और **(**ख) इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना।
5. उत्पत्तिमूलक उत्पाद **-** इस करार में समाविष्ट उत्पाद किसी दूसरे करार पार्टी से एक करार पार्टी के क्षेत्र में आयात किए जाते हैं**,** जो नियम **9** के भीतर सीधे परेषित किए जाते हैं**,** अगर वे

निम्नलिखित शर्तों के किसी एक के तहत उद्गम आवश्यकता के अनुरूप हो तो, अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र होंगे :

(क) उत्पाद नियम 6 में परिभाषित के अनुरूप पूरी तरह से निर्यात करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में, उत्पादित या प्राप्त ; या

(ख) उत्पाद निर्यात करार पार्टी के क्षेत्र में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त नहीं है, बशर्ते कि उक्त उत्पाद नियम 7 या नियम 8 के तहत पात्र हैं ।

मूलस्थान के नियम

6. पूर्णतः उत्पादित या प्राप्त: - नियम 5 (क) के अर्थ में, निम्नलिखित के रूप में पूरी तरह से निर्यात करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में उत्पादित या प्राप्त माना जाएगा ।

(क) कच्चे या खनिज उत्पाद जो अपनी मिट्टी, अपने पानी या अपने समुद्र के बिस्तर से निकाले गए;

(ख) सब्जियों के उत्पाद 2 वहाँ के पैदावार ;

(ग) वहां जन्मे और पाला हुआ पशु;

(घ) उपरोक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट जानवरों से प्राप्त उत्पाद;

(ङ) वहाँ का आयोजित शिकार या मत्स्यन से प्राप्त उत्पाद,

(च) समुद्री मत्स्यन के उत्पाद तथा गहरे समुद्र से अपने जहाजों 3.4 द्वारा प्राप्त अन्य समुद्री उत्पाद;

(छ) प्रसंस्कृत उत्पाद और / या अपनी फैक्टरी जहाज़ों के बोर्ड पर विशेष रूप से ऊपर 4.5 खंड (च) में निर्दिष्ट किए गए उत्पाद ;

(ज) केवल कच्चे माल की पुनर्प्राप्ति के लिये योग्य वहां एकत्रित इस्तेमाल की गई सामग्रियाँ;

(झ) वहाँ आयोजित निर्माण कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट और रद्दी माल;

(ञ) समुद्र तल या समुद्र तल से नीचे से निकाले उत्पाद जो कि अपने जल क्षेत्र के बाहर स्थित है, बशर्ते कि इसमें विशेष शोषण अधिकार है;

(ट) वहाँ उत्पादित विशेष रूप से ऊपर खंड (क) से (ञ) तक निर्दिष्ट उत्पादों से बने सामान ।

मूलस्थान के नियम

7. पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त नहीं:-

(क) करार दलों के अलावा अन्य देशों से उद्भूत उत्पाद, सामग्री, सामग्री के भाग कुल मूल्य या इस्तेमाल किए अनिर्धारित मूलस्थान में उत्पादित या प्राप्त उत्पादों के एफओबी मूल्य 65% से अधिक नहीं होने और विनिर्माण की अंतिम प्रक्रिया निर्यात करार पार्टी के राज्यक्षेत्र के भीतर की जाती है, के परिणामस्वरूप नियम 5 (ख) के अंतर्गत, तैयार या प्रसंस्कृत उत्पाद नियम 7 और नियम 8 के (क) के खंड (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के प्रावधानों के अधीन अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र होंगे ।

(ख) विनिर्माण में इस्तेमाल की सभी गैर- उद्भव सामग्रियों को वर्गीकृत किया गया है , उनसे भिन्न जब प्राप्त उत्पाद समन्वित कमोडिटी विवरण और कोडिंग प्रणाली के चार अंकों के स्तर पर,एक शीर्षक में वर्गीकृत है, गैर उद्भव सामग्री पर्याप्त रूप से तैयार या प्रसंस्कृत किए जाने उत्पाद के रूप में माना जाएगा।

(ग) एक करार पार्टी के राज्य क्षेत्र से एक उत्पाद का मूल स्थान निर्धारित करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे उत्पादों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की गई बिजली, ईंधन, संयंत्र और उपस्कर, मशीन और उपकरण तीसरे देशों में उत्पन्न है या नहीं ।

(घ) निम्नलिखित को, किसी घटना जो शीर्षक के परिवर्तन से हो या नहीं, उत्भूत उत्पादों की स्थिति दर्शाते हैं, अपर्याप्त कार्य या प्रसंस्करण के रूप में माना जाना है

1) अच्छी हालत में उत्पादों के संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिवहन और भंडारण के दौरान प्रचालन (वेंटिलेशन, बाहर फैला देने ,सुखाने, प्रशीतन, नमक में रखना, सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य जलीय समाधान, क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने, और इस तरह के प्रचालन) ।

2) धूल निकालने, सिफ्टिंग या स्क्रीनिंग, छँटाई, वर्गीकृत करने, मिलान (सामग्री का सेट बनाने), धुलाई, पेंटिंग, कटिंग सहित सरल प्रचालन

3) (i) परेषणों के पैकिंग बदलन और निकालना और संयोजन, स्लाइसिंग, कटिंग, , काटने और पुन: पैंकिंग करना तथा बोतलों , फ्लास्कों,बैगों, बक्सों में रखना , कार्ड या बोर्ड, आदि पर लगाना आदि तथा इस तरह के साधारण पैकिंग प्रचालन

4) उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर निशान, लेबल जैसे अन्य भेद संकेत लगाना ;

5) इन नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले मूल स्थान उत्पादों के रूप में माने जाने के लिये उनकी सहायता के लिये उत्पादों के, चाहे विभिन्न प्रकार के या नहीं, एक या अधिक घटक के साधारण मिश्रण ;

6) एक पूर्ण उत्पाद के गठन करने के लिए उत्पादों के कुछ हिस्सों का सरल संयोजन:

7) (क) से (च) में निर्दिष्ट दो या दो से अधिक प्रचालन का संयोजन :

8) पशुओं के वध

(ञ) गैर उद्भव सामग्री, भागों या उपज का मूल्य होगा: -

(i) सामग्री, भागों या उपज के आयात के समय सीआईएफ मूल्य जहां यह साबित किया जा सकता है या

ii) करार दलों के क्षेत्र, जहां काम या प्रसंस्करण कार्य चलता है, अनिर्धारित मूल की सामग्रियों, उपज के कुछ हिस्सों के लिए भुगतान किए जल्द से जल्द निर्धारित मूल्य ।

मूलस्थान के नियम

8. मूल के संचयी नियम: - एक उत्पाद के संबंध में, जो नियम **5** (ख) में दी मूल की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और किसी भी करार पार्टी द्वारा निर्यात किया जाता है, और जिन्होंने अन्य करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में उत्भूत ,सामग्री, भागों या उत्पादों का इस्तेमाल किया है जो करार दलों के क्षेत्रों में निर्यात के तहत के उत्पाद के कुल मूल्य संवर्धन एफओबी मूल्य के कम से कम **35** प्रतिशत से कम नहीं है, इस शर्त के अधीन निर्यात करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में मूल्य संवर्धन निर्यात के तहत के उत्पाद के एफओबी मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

9. **प्रत्यक्ष परेषण : -** निम्नलिखित निर्यात देश से आयात करने वाले देश के लिए सीधे परेषित माना जाएगा ।

(क) करार दलों के देशों के अलावा अन्य किसी भी देश के क्षेत्र के माध्यम से गुज़रे बिना उत्पादों के अपवाहन करते तो ।

(ख) यदि उत्पादों के परिवहन में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती देशों के माध्यम से पोतांतरण के साथ या बिना या इस तरह के देशों में अस्थायी भंडारण पारगमन शामिल हो ; बेशर्ते कि

(i) भौगोलिक या हितों से संबंधित कारण के लिये विशेष रूप से परिवहन आवश्यकताओं के लिए पारगमन प्रविष्टि जायज़ है ;

(ii) वहाँ के व्यापार या उपभोग में उत्पादों को दर्ज नहीं किया है : और

iii) उत्पादों वहाँ उतराई और पुन: लोड या उन्हें अच्छी हालत में रखने के लिए जरूरी प्रचालन के अलावा अन्य किसी भी प्रचालन के अधीन नहीं आया है ।

10. पैकिंग : - जब उत्पादों के उद्गम का निर्धारण करते हैं तब उत्पाद निहित एक पूरे गठन को पैकिंग माना जाना चाहिए । हालांकि, यदि राष्ट्रीय कानून अपेक्षा करते तो पैकिंग अलग से माना जा सकता है ।

11. **मूलस्थान प्रमाण पत्र:** - अनुबंधित प्रपत्र में मूलस्थान प्रमाणपत्र के लिए योग्य उत्पाद निर्यात देश की सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी के द्वारा जारी किए गए अधिमान्य व्यवहार से समर्थित और दोनों करार दलों द्वारा तैयार कर लिए और अनुमोदित प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार दूसरे देश में अधिसूचित होंगे ।

मूलस्थान के नियम

12. **वर्जन:** - किसी भी देश उनके साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध न वाले राज्यों से उत्भूत किसी भी उत्पाद के आयात को वर्जित कर सकते हैं **।**

13. **करार दलों के बीच सहयोग :-**

(क) करार दल मूल के प्रमाणपत्र में आदानों की उत्पत्ति को निर्दिष्ट करने में सहयोग करने के लिए उनकी पूरी कोशिश करेंगे **।**

(ख) करार दल मूल देश या मूल दस्तावेजों का मिथ्याकरण संबंधित गलत घोषणा के माध्यम से इस करार में गतिरोध उत्पन्न करने वालों को रोकने के लिए जांच करने और जहां उपयुक्त हो, कानूनी और / या प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ।

(ग) दोनों करार दल अपने घरेलू कानूनों और प्रक्रियाओं के साथ संगत, प्रत्येक मामले पर दोनों करार दलों के अनुरोध करने पर प्रतिनिधियों से संपर्क करते हुए और संयुक्त रूप से संयंत्र में दौरा करने की सुविधा सहित समझौते के कथित गतिरोध से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान करने के लिए पूरी तरह सहयोग करेंगे ।

(घ) यदि कोई एक पार्टी मानता है कि मूल के नियम उन्हें धोखा दी जा रही है, एक परस्पर संतोषजनक समाधान की मांग करने की दृष्टि से संबंधित मामले को संबोधित करने हेतु विचार-विमर्श के लिए अनुरोध कर सकता है । प्रत्येक पार्टी इस तरह के विचार-विमर्श तत्परता से आयोजित करेगा ।

14. समीक्षा: - जब भी आवश्यकता पड़े किसी भी करार पार्टी के अनुरोध पर इन नियमों की समीक्षा की जा सकती है और जैसी सहमति हो संशोधन करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

<u>टिप्पणियाँ</u> :-

1. खनिज ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री के साथ ही खनिज या धातु अयस्क शामिल है
2. कृषि और वानिकी उत्पाद शामिल हैं
3. जहाज़ों का उल्लेख करार पार्टी के देश में पंजीकृत वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे मत्स्यन जहाज़ों के लिए होगा और ऐसे करार पार्टी के देश में विधिवत पंजीकृत, करार पार्टी या साझेदारी, निगम या संघ के नागरिकों, जिसके इक्विटी के कम से कम 60 फीसदी एक नागरिक या नागरिकों के

स्वामित्व में और / या इस तरह के करार पार्टी की सरकार और / या 75 प्रतिशत नागरिकों और / या करार पार्टी के 11कार्यरत करार दलों की सरकारों के स्वामित्व में चलाया जाता है । हालांकि, द्विपक्षीय करार के तहत जो, इस तरह के जहाजों को किराए / पट्टे पर प्रदान करता है, वाणिज्यिक मत्स्यन में लगे जहाज़ों से प्राप्त उत्पाद, और / या जो करार पार्टी के बीच पकड़ की शेयरिंग भी अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र होंगे।

4. सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रचालित वाहिकाओं या "कारखाने के जहाज" के संबंध में,करार पार्टी का झंडा उड़ाने की आवश्यकताओं को लागू नहीं कर सकता ।

5. इस करार की प्रयोजन के लिए, कारखाना जहाज शब्द का मतलब किसी भी पोत, यथा परिभाषित, प्रसंस्करण और / या ऑन बोर्ड उत्पाद विशेष रूप से नियम 6 के खंड (i) में निर्दिष्ट उन उत्पाद बनाने के लिये इस्तेमाल किसी भी पोत ।

6. नियम 8 में सूचित संचयन का मतलब है कि केवल एक करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में मूलस्थान का दर्जा प्राप्त उत्पाद से हैं, जिन्हें अन्य करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में अधिमान्य व्यवहार के लिए योग्य तैयार उत्पाद के लिए आदानों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।

मूलस्थान प्रमाण पत्र

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">--- से परेषित उत्पाद (निर्यातक के व्यापार, नाम, पता, देश)</td><td colspan="3">संदर्भ संख्या
भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता (आई एस एफ टी ए)
(संयुक्त घोषणा और प्रमाण पत्र)
..... (देश) में जारी किए गए
पृष्ठ की दूसरी तरफ की टिप्पणियाँ देखें</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">--- को परेषित उत्पाद (परेषिती का नाम, पता देश)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="3">परिवहन और मार्ग के साधन
(जहां तक ज्ञात हो)</td><td colspan="3">4. कार्यालय के प्रयोग हेतु</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>टैरिफ आइटम नंबर</td><td>6. पैकेजों के निशान और संख्या</td><td>7. पैकेजों की संख्या और प्रकार उत्पादों का विवरण</td><td>8. मूल स्थान का मानदण्ड (दूसरी तरफ की टिप्पणियाँ देखें)</td><td>9. कुल वजन या अन्य मात्रा</td><td>10. बीजक की संख्या और दिनांक</td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="3">निर्यातक द्वारा घोषणा: अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता है कि उपरोक्त विवरण और बयान सही हैं: सभी उत्पादों का उत्पादन ..... (देश)में किया गया और वे ---------- को निर्यातित (आयातित देश) उत्पाद आईएसएफटीए में उत्पादों के लिये विनिर्दिष्ट मूलस्थान अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं</td><td colspan="3">12. प्रमाण पत्र:

इसके द्वारा किए गए नियंत्रण के आधार पर प्रमाणित है कि निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही है।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">स्थान और तारीख,
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</td><td colspan="3">..... स्थान और तारीख,
प्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर</td></tr>
</table>

I. **सामान्य शर्तें**

अधिमान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उत्पाद :

क. इस समझौते के तहत गंतव्य देश में रियायत के लिए योग्य उत्पादों के वर्णन में आते हैं।

ख. आईएसएफटीए मूलस्थान नियमों का अनुपालन। एक परेषण के प्रत्येक उत्पाद अपने आप में अलग से योग्य होना चाहिए: और

ग. आईएसएफटीए के मूल स्थान नियम द्वारा निर्दिष्ट परेषण शर्तों का पालन। सामान्य रूप में नियम 9 के अर्थ के भीतर इस करण निर्यात के देश से गंतव्य के देश के लिए उत्पादों को सीधे परेषित किया जाना चाहिए।

II. **बॉक्स 8 में की जाने की प्रविष्टियां :**

आई एस एफ टी ए मूल स्थान नियमावली के नियम 6 के अनुसार निर्यातित करार पार्टी में पूर्ण रूप से उत्पादित या प्राप्त अधिमान उत्पाद या निर्यातित करार पार्टी में पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त न होने से ,नियम 7 या नियम 8 के तहत पात्र होना चाहिए ।

क. पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त उत्पाद हो, बॉक्स 8 में अक्षर 'ए' प्रविष्ट करें ।

ख. उत्पाद पूरी तरह से उत्पादित या प्राप्त नहीं हो ; बॉक्स 8 में प्रविष्टि निम्नानुसार होनी चाहिए:

1. उत्पाद, जो नियम 7 के अनुसार मूल मानदंड को पूरा करने पर बॉक्स 8 में अक्षर 'बी' दर्ज करें। अक्षर की प्रविष्टि के बाद गैर करार दलों से उत्पन्न सामग्री, या इस्तेमाल किए अनिर्धारित मूल के उत्पाद, भागों के मूल्य का योग उत्पादों के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त; (उदाहरण बी - ( ) प्रतिशत ।

2. उत्पाद , जो नियम 8 के अनुसार मूल मानदंडों को पूरा करने पर बॉक्स 8 में अक्षर 'सी' दर्ज करें। अक्षर 'सी' की प्रविष्टि के बाद निर्यात करार पार्टी के राज्य क्षेत्र में उत्भूत कुल सामग्री का योग निर्यातित उत्पाद के एफओबी मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त (उदाहरण 'सी ( ) प्रतिशत ।